

मुख्यमंत्री मेधावी वदियार्थी योजना में संशोधन

चर्चा में क्यों?

- 18 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा 'मुख्यमंत्री मेधावी वदियार्थी योजना' में संशोधन आदेश जारी किया गया। बीपीएल कार्डधारी अनुसूचति जाति, अनुसूचति जनजाति वर्ग के वदियार्थी, जिनके पति/पालक की आय 8 लाख रुपए तक हो, को इस योजना का लाभ मलि सकेगा।

प्रमुख बदि

- आदेशानुसार ऐसे वदियार्थी, जिनके पति/पालक की आय 8 लाख रुपए से कम हो, वे योजना के लयि पात्र होंगे, परंतु ऐसे वदियार्थी जिनके पति/पालक की वार्षकि आय 8 लाख रुपए तक है तथा वह बीपीएल कार्डधारी, अनुसूचति जाति, अनुसूचति जनजाति वर्ग के वदियार्थी हैं तथा कंडकि करमांक 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एवं 3.5 में उल्लेखति शर्तों के कारण योजना में सम्मलिति नहीं हो पा रहे हों, को वशिष प्रकरण मानते हुए इनके संबंध में वभिगीय समन्वय में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन प्राप्त कर उन्हें योजना में सम्मलिति कर सकेंगे।
- ऐसे वदियार्थियों, जनिहें योजना में एक बार लाभ प्राप्त हो जाने के बाद यथानरिदषिट शर्तों के अधीन आय की सीमा 8, लाख रुपए से अधिकि होने पर भी पाठ्यक्रम के पूरण होने तक योजना के लाभ की पात्रता होगी। यह संशोधन शैक्षणकि सत्र 2023-24 से लागू होगा।